

# आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 89/2018

निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवान:- सत्य प्रदीप

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का ..... ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 893/496 रकबा 0-15 किस्म चालगाह

बारे ग्राम कासकड़ा पर धर्मराज पुत्र मानपाल

जाति काफ निवासी कासकड़ा तहसील बाड़ी

ने सन्बर 2074 रबी/खरीफ में फसल रु (6) कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी 37/11 आय

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी धर्मराज पुत्र मानपाल

जाति काफ निवासी कासकड़ा को आ. ख. नं. 893/49

रकबा 0-15 वारे ग्राम कासकड़ा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 169/ (अक्षरे

रूपेय 103 के इन्कान का मास) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे ITRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2018 को खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार  
तहसील बाड़ी (मौलपुर) राज.

169-4  
नाम राशि  
पैजना के पत्र के  
की कमाई  
2418